297

संख्या–185/VI-2/2014–71(15)2013

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 24 अप्रैल 2014

विषयः–चारधाम यात्रा–गंगोत्री,यमुनोत्री,केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–114/सं0नि0उ0/दो–10/2014–15 दिनांक 16 अप्रैल 2014, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा के शुभारम्भ एवं गंगोत्री,यमुनोत्री,केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर, संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराये जाने हेतु ₹ 64.00 लाख (₹ चौसठ लाख) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु ₹30.00 लाख (₹ तीस लाख) मात्र की धनराशि का अग्रिम आहरण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के नियम 162 के अन्तर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति निम्नाकिंत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रदान की गयी हैः–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18 मार्च, 2014 निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त अग्रिम धनराशि का नियमानुसार 02 माह अथवा 31 मार्च, 2015 जो भी पूर्व में हो, के भीतर समायोजन कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आयोजनोपरान्त वास्तविक व्यय के आधार पर मदवार व्यय विवरण देते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

...2

5– उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

6– व्यय के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–06(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक: 23 अप्रैल 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या– 185/VI-2/2014–71(15)2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।

3